न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक

(डॉ.सौम्या झा,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 107/2011
प्रविष्टि दिनांक 16.03.2011

बाबूलाल पुत्र ईश्वर लाल जाति गुर्जर निवासी सरकावास ढाणी देवडावास तहसील देवली जिला टोंक राज0

.... प्रार्थी

बनाम

1–सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) टोंक

2–परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकण, परियोजना इकाई, नेशनल हाइवे नं0 12 टोंक

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित (1) श्री जितेन्द्र कुमार जैन,अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री रामधन सैनी,अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2

निर्णय

दिनांक 10.09.2024

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण मे ग्राम देवडावास तहसील देवली की भूमि ख0नं0 1396 मे हिस्सा 1/3 मे से 1000 वर्गमीटर का मुआवजा विपक्षीगण द्वारा गलत निर्धारण कर डीएलसी दर से कम दर पर निर्धारित किया गया है। प्रार्थी आवासीय भूमि की दर से मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी हैं। अतः अवार्ड दिनांक 28.06.2010 को निरस्त कर आवासीय भूमि की दर से मुआवजा दिलवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गई एवं अवार्ड पत्रावली संख्या 1632/2009 दिनांक 28.06.2010 तलब की गई एंव उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र मे अंकित किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण हेतु प्रार्थी की भूमि ख0नं0 1396 मे से 1000 वर्गमीटर वाके ग्राम देवडावास मे अवाप्त की गई है। अवाप्त भूमि का अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी होने के पश्चात प्रार्थीगण को 3 सी के अन्तर्गत आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त था, परन्तु प्रार्थी द्वारा कोंई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जिसके पश्चात धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी किया गया तथा भूमि अन्तिम रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो गई। प्रार्थी को नोटिस जारी किया गया था,

आर्बिट्रेटर N.H.-12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)

परन्तु प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव का आकंलन सब रजिस्टार द्वारा प्राप्त बाजार भाव मौके पर भूमि की स्थिति उपयोगिता का ध्यान रखते हुये मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया है। जमीन की किस्म बा–1 राजस्व रिकार्ड मे अंकित थी। प्रार्थी आवासीय भूमि की दर से मुआवजा निर्धारित करवाने का अधिकारी नही है। अधिसूचना के समय भूमि की जो किस्म जमाबंदी मे अंकत थी,उसी के अनुरूप मुआवजा निर्धारित किया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सर्मूण तथ्यो को मध्यनजर रखते हुये अवार्ड जारी किया है जो उचित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने बहस अभिभाषक प्रार्थी व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2 सुनी। जवाब/बहस पर मनन किया। अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2 द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस व अभिभाषक प्रार्थी द्वारा दिनांक 29.08.2024 को प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवार्ड पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 अति0 जिला कलेक्टर टोंक द्वारा प्रार्थी की भूमि ख0न0 1396 रकबा 1000 वर्गमीटर मे से हिस्सा 1/3 किस्म जमीन बारानी–1 वाके ग्राम देवडावास का अधिनियम की धारा 3 (ए) व 3 (डी) अनुसार मुआवजे का निर्धारण नियमानुसार किया गया है। प्रार्थी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा आवासीय दर से चाहा गया है।

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा मे दस्तावेजात के रूप मे तहसीलदार देवली द्वारा जारी आदेश दिनांक 11.10.2004 कि प्रति प्रस्तुत की है,जिसमे आराजी खसरा नम्बर 2782/1396 मे से 0.03 है.(300 वर्गमीटर) वाके ग्राम देवडावास का आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिर्वतन का आदेश सीताराम पुत्र भूरा माली निवासी देवडावास के नाम से जारी किया गया है। प्रार्थी के नाम उक्त भूमि (खसरा नम्बर 2782/1396 रकबा 0.06 है. व खसरा नम्बर 1396 रकबा 0.15 है. मे से हिस्सा 1/3)जरिये नामान्तकरण संख्या 910 दिनांक 07.07.2007 से दर्ज हुई है,जो जमाबंदी वाके ग्राम देवडावास सम्वत 2063–2066 के खाता संख्या 714 व 30 से स्पष्ट है,परन्तु तहसीलदार देवली द्वारा जारी तकास्मा आदेश क्रमांक 1 दिनांक 25.01.2002 की पालना मे दर्ज नामान्तकरण संख्या 547 वाके ग्राम देवडावास का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि मूल खसरा नम्बर 1396 रकबा 0.33 है. जो बटवारा प्रस्ताव अनुसार उक्त भूमि 4 भागो मे विभाजित होकर (1) खसरा नम्बर 2780/1396 रकबा 0.06 है. ईश्वर पुत्र छीतर जाति गुर्जर सा. देहअ (2) खसरा नम्बर 2781/1396 रकबा 0.06 है. बाबू खां पुत्र नाथू खां जाति मुसलमान सा. देह (3) खसरा नम्बर 2782/1396 रकबा 0.06 है. सीताराम पुत्र भूरा जाति माली सा.देह व (4) खसरा नम्बर 1396 रकबा 0.15 है. ईश्वर पुत्र छीतर गुर्जर हिस्सा 1/3,बाबू खां पुत्र नाथू खां जाति मुसलमान हिस्सा 1/3,सीताराम पुत्र भूरा माली हिस्सा 1/3 साकिन देवडावास खातेदार के रूप मे दर्ज हुये है जो जमाबंदी सम्वत 2055–2058 के खाता संख्या 418 पर नामान्तकरण संख्या 547 के अंकित नोट से सिद्व है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) टोंक द्वारा अवार्ड संख्या 1632/2009 दिनांक 28.06.2010 खसरा नम्बर 1396 रकबा 0.15 है. मे से 1000 वर्गमीटर वाके ग्राम देवडावास का जारी किया गया है जो पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड

जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
आर्बिट्रेटर N.H.-12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)

से सिद्व है। प्रार्थी द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिर्वतन का आदेश खसरा नम्बर 2782/1396 रकबा 0.06 है. मे से 300 वर्गमीटर का प्रस्तुत किया है जो खसरा नम्बर 1396 रकबा 0.15 है. का भाग नही है। खसरा नम्बर 2782/1396 रकबा 0.06 है. अपने आप मे पृथक खसरा नम्बर है जो कि नामान्तकरण संख्या 547 दिनांक 25.01. 2002 को ही राजस्व रिकार्ड जमाबंदी वाके ग्राम देवडावास सम्वत 2055–2058 के खाते संख्या 418 से प्रमाणित है,तब से आज तक खसरा नम्बर 2782/1396 रकबा 0. 06 है.पृथक रूप मे अंकित है,जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 1002 व खसरा नम्बर 1396 रकबा 0.15 है. के वर्तमान खसरा नम्बर 1004 मुताबिक मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2067–2070 से प्रमाणित है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है। तलबिदा रिकार्ड मय निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनाक 10.09.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ.सौम्या झा)
आरबीट्रेटर एन.एच.–12
(जिला कलेक्टर)टोंक
आरबीट्रेटर N.H.-12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)